राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–9/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/07
दायर दिनांक– 7.5.2024
निर्णय दिनांक–8.11.2024

1. किशनलाल पुत्र कानाराम जाति रेगर निवासी ग्राम रघुनाथपुरा त0 रूपनगढ़

––प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र कान्हाराम जाति मेघवाल निवासी 21 गालीयों की ढाणी मदनगंज किशनगढ़
2. रामस्वरूप पुत्र जोरा जाति भांबी निवासी ग्राम तिल्यारी त0 रूपनगढ़
3. राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिल्यारी जरिये संचालक
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111; 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम तिल्यारी पटवार हल्का पिंगलोद भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 288/199 क्षेत्रफल 0.6310 है0, ख0न0 286/198 रकबा 0.5097 है0 एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा मौके पर प्रार्थी कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की वर्णित कब्जे एवं खातेदारी की कृषि भूमि से लगी हुई उत्तर दिशा में अन्य ग्राम की भूमि लगी हुई है तथा पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि की सीमा लगी हुई है। पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भूमि लगी हुई है तथा दक्षिण दिशा में गै0मु0 सड़क की सीमा लगी हुई है इसलिए पक्षकार के रूप में दर्ज किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आये दिन अनावश्यक हस्तक्षेप कर विवाद उत्पन्न करते है, लड़ाई झगड़ा करते है। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि की नींव सींव मेड़ को लेकर व्यवधान करते है। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थी एकल खातेदारी की भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी होती है। प्रार्थी की कृषि भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद वाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। अप्रार्थी संख्या 4 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस अदम तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की तलबी हेतु अखबार स्याहा करने के आदेश प्रदान किये गये। अखबार में सूचना प्रकाशित करने के 1 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम तित्यारी के ख0न0 288/199 क्षेत्रफल 0.6310 है0, ख0न0 286/198 रकबा 0.5097 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Mahima

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:12 IST
Reason: SelfAttested